

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक: प.33 (2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक 19.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (Covid-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान सरकार द्वारा अनेक प्रतिबन्धात्मक उपाय किये गये हैं। इसी क्रम में समस्त राज्य में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सभाओं, जुलूस, रैली, सार्वजनिक एवं निजी समारोह एवं धार्मिक कार्यक्रमों में 20 या 20 से अधिक लोगों के समूह के रूप में एकत्रित होने पर दिनांक 31.03.2020 तक प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु परस्पर कम से कम सम्पर्क हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अति-आवश्यक है। उपरोक्त के क्रम में जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक समझा गया है कि इस महामारी से बचाव के लिये कम से कम संख्या में लोगों का घर से बाहर निकलना हो। इस दृष्टि से राजकीय/अर्द्धराजकीय विभागों, स्वायत्तशापी संस्थाओं, राजकीय निगमों/मण्डलों में आंशिक शट-डाउन दिनांक 31.03.2020 तक किया जावे।


इस संबंध में निम्न निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं :-

1. समस्त राजकीय/अर्द्धराजकीय विभागों, स्वायत्तशापी संस्थाओं, राजकीय निगमों/मण्डलों में 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थिति देंगे एवं 50 प्रतिशत कार्मिक घर पर रहेंगे। जो कार्मिक घर पर रहेंगे वे WORK FROM HOME सुनिश्चित करेंगे। चूंकि यह उनके स्वयं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक बाहर घूमने-फिरने पर अंकुश रखेंगे, जिससे बाहरी व्यक्तियों से उनका सम्पर्क कम से कम हो। कार्मिकों द्वारा अधिकाधिक कार्य को ऑन-लाईन सम्पादित करने का प्रयास किया जायेगा। घर से कार्य कर रहे ऐसे कार्मिकों को आवश्यकता होने पर कार्यालय में कभी भी बुलाया जा सकता है अथवा अन्य कार्य आवंटित किया जा सकता है।
2. उक्त शट-डाउन सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, सहायक सचिव, उप सचिव एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
3. आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित निम्न विभाग एवं इनके अधीनस्थ कार्यालयों पर शट-डाउन लागू नहीं होगा :-

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
2. चिकित्सा शिक्षा
3. आयुर्वेद
4. गृह विभाग - पुलिस, कारागार, गृह रक्षा एवं एफएसएल
5. वित्त विभाग
6. ऊर्जा विभाग मय उसके अधीन समस्त निगम
7. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
8. स्वायत्त शासन विभाग- नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका
9. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
10. पंचायती राज

11. सूचना एवं प्रौद्योगिकी (DoIT)
 12. कार्मिक विभाग (आवश्यक शाखाएँ)
 13. परिवहन विभाग मय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं अन्य शहरी बस निगम एवं जयपुर मेट्रो
 14. सामान्य प्रशासन विभाग
 15. स्टेट मोटर गैराज
 16. विधि विभाग
 17. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
4. इसी प्रकार विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में सहायक निदेशक/सहायक अभियन्ता एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों एवं जिलाधीश कार्यालय व जिला स्तरीय अधिकारियों पर यह शट-डाउन लागू नहीं होगा।
 5. यह शट-डाउन कुछ कार्यालयों जैसे - वाणिज्यिक कर, परिवहन (आरटीओ/डीटीओ), आबकारी, खनिज, पंजियन एवं मुद्रांक एवं आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली एवं पेयजल विभाग पर लागू नहीं होगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग पृथक से एडवाईजरी भी जारी करेंगे।
 6. आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित जिला कलक्टर किसी भी कार्यालय में सब की उपस्थिति बाबत समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।
 7. सचिवालय स्थित विभागों में प्रशासनिक विभाग के सचिव, विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर पर तय करेंगे कि रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित रहें। जिन कार्मिकों की आवश्यकता हो, उन पर WORK FROM HOME लागू नहीं किया जाये, जिससे कि आवश्यक राजकीय कार्य निष्पादित करने में कोई बाधा नहीं आये।
 8. इस दौरान किसी प्रकार का अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति साधारणतया: नहीं दी जाएगी। यह फिर स्पष्ट किया जाता है कि इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य राजकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवारजन को सुरक्षित रखना है। अतः वे अनावश्यक घूमने-फिरने पर बंदिश रखें जिससे वे बाहर के व्यक्तियों से कम से कम सम्पर्क में आयें।
 9. इस अवधि में कोरोना से सम्बन्धित एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बैठकों के अलावा, बिना अति आवश्यक कारणों के अन्य राजकीय बैठकें स्थगित रहेंगी। बैठकों के विकल्प में आवश्यक राजकीय कार्यों को Video Conference/दूरभाष के माध्यम से सम्पादित किया जाये।
 10. कम संख्या 5 में अंकित कार्यालयों को छोड़कर अन्य समस्त राजकीय/अर्द्धराजकीय विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगमों/मण्डलों में आगंतुकों पर रोक रहेगी।

उपरोक्त निर्देश दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेंगे एवं इनकी सभी स्तर पर कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे।


(डी.वी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।

3. सचिव, राजस्थान विधान सभा।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
9. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त।
11. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क सूचना विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करावें।
12. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।



(एन.एल.मीना)

शासन सचिव, गृह